

5/11/21


पत्रावली पेश की वकील जागी
 उपस्थित। अफसर को मेले गए
 समझने मग ~~हो~~ लीड पेश की अफसर
 की ओर से अधिवक्ता राजेश
 चौधरी ने अकालातनामा पेश
 किया। वकील जागी ने अकालाति
 या के जो पडी के ऊपर अखुल की
 टा निगा कई हुई है जिसके जो पडी
 का दर्जना एक इवालिष फर से
 मो स्त्री विमारिषा एवं मरुफर चलने
 की पूर्ण संभावना है जिसके कारण अखुल
 को हराया जावे।

अफसर अधिवक्ता से भी सुना
 गया उनके द्वारा यह स्वीकार किया
 कि अखुल जागी के पर जो फर
 पर अफसा हुआ है जिसे हराया जावे
 से कोई आपत्ति नहीं है जब फिद हराया
 जावे तो हमारे इवालिष मकान को
 किसी प्रकार का नुकसान नहीं है।
 जिस पर जागी अधिवक्ता ने सहमति
 जाहिर की और कि फेद हराये अखुल
 मकान को किसी भी प्रकार का नुकसान
 नहीं पहुँचाया जाएगा। इनके अधिवक्ता
 ने सहमति जाहिर करके हुए कई
 इशारात पर हस्ताक्षर किया।

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

क्र. नं. 323 रकबा 11-7359
इंस्ट्रक्शन में कने के पास डी डी
वजुल के फेड को सुरत लांचा
जाने का आदेश दिया जाता है
यथा भद्र भी निर्दिष्ट किया जाता
है कि फेड इंस्ट्रक्शन के अन्तर्गत
भी प्रकार शरिफत का हो रहखील
कार ओरिजिनल डक आदेश की फालन
सुनिश्चित करें एवं मॉके पर शरिफ
जवाबदा है असाधिकारी ओरिजिनल
प्रतिष्ठ जाकरा लिखा जाके
निर्णय फालन है रहखील कार
ओरिजिनल को सुरत जारी है
पत्रावली फेडल शुकरा के कर
दरखिल पत्रार है


उपायक इन्सपेक्टर, पोस्ट